संख्या-48/2391/41-2014-02 यो0/14

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ :: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2014

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-958/6-1-1(401)/(विन्ध्यवासिनी)/2014, दिनांक 22-09-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश सं0-217/41-2014-02यो0/14, दिनांक 04-03-2014 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास की योजना के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0- 260.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रू0-160.93 लाख (रूपये एक करोड़ साठ लाख तिरान्नवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. योजनान्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण/रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104-

http://shasanadesh.up.nic.in

संवर्धन तथा प्रचार-27-जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी धाम में पर्यटन विकास का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या- 48/2391 (1)/41-2014 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
6- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in